छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड

नियमावली

1. संस्था का नाम :- छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड

   :- CHHATTISGARH HANDICRAFTS DEVELOPMENT BOARD

2. संस्था का कार्यालय :- छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड, छत्तीसगढ़ हाट परिसर, पण्डरी, रायपुर।

3. संस्था का कार्यक्षेत्र :- सम्पूर्ण छत्तीसगढ़

4. संस्था का उद्देश्य :-

   1. हस्तशिल्प योजनाओं के माध्यम से स्व–रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
   2. परम्परागत शिल्पियों को उन्नत प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
   3. परम्परागत एवं गैर परम्परागत शिल्पियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बदलती मांग से अवगत कराने के लिए तकनीकी एवं रूपांकन सहायता प्रदान करना।
   4. शिल्पियों को उन्नत औजार उपकरण प्रदान करना।
   5. हस्तशिल्प उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहन देना।
   6. हस्तशिल्प उत्पादन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
   7. प्रदेश के लुप्त प्रायः शिल्प को पुर्नजीवित एवं उनका संरक्षण करना तथा उन्हें संवर्धित करना।
   8. हस्तशिल्पियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
   9. हस्तशिल्पियों को उनके उत्कृष्ट कृतियों हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान करना।
   10. छत्तीसगढ़ के शिल्पियों को विपणन सहायता, उत्पादन क्षमता, तकनीकी ज्ञान, बाजार मूल्यों की जानकारी, लोकप्रिय डिजाईनों की जानकारी एवं उचित

मूल्य का ज्ञान होने के उद्देश्य से शिल्पियों को आयोजित प्रदर्शनियों में एवं शिल्प बाजारों में उत्पाद के विक्रय हेतु आमंत्रित कर विक्रय में सहयोग करना।

11. हस्तशिल्प हेतु समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। कृषि एवं गैर कृषि सेक्टर की अल्पकालिक रोजगार प्राप्त लोगों को विभिन्न शिल्पों में प्रशिक्षण दिया जाकर स्वरोजगार से लगाया जाना।

12. शिल्प के उत्पादन के लिए निजी अधोसंरचना का निर्माण, कर्मशाला अनुदान तथा अनुदान पर उन्नत औजार प्रदान करना।

13. शिल्पियों को शिल्प का उच्च स्तरीय ज्ञान करवाने के लिए अध्ययन प्रवास पर देश एवं विदेश में भेजा जाना।

14. शिल्पियों द्वारा स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण ग्रस्त शिल्पियों को राज्य शासन के योजना अन्तर्गत आवश्यक मदद करना।

15. तकनीकी एवं डिजाईन मार्गदर्शन बाबत् कार्यशालाओं एवं संगोष्ठी का आयोजन कर शिल्पियों को उन्नत तकनीकी से अवगत कराना साथ ही नये डिजाईन बनाकर निःशुल्क उपलब्ध कराना।

16. देश एवं विदेश के प्रमुख शहरों में विक्रय सह प्रदर्शनियों का आयोजन कर प्रदेश के शिल्प की पहचान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाना जिससे प्रदेश के शिल्पियों द्वारा उत्पादित माल का विक्रय कर अपनी आर्थिक दशा सुदृढ़ कर सकें।

17. छत्तीसगढ़ में हस्तशिल्प की गुणवत्ता एवं आकर्षकता को सुदृढ़ करना।

18. राज्य की समृद्ध हस्तशिल्प एवं विविध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रचार–प्रसार करना।

19. आर्थिक विकास एवं संबंधित क्षेत्रों में हस्तशिल्प के योगदान में वृद्धि करना।

S. Sinha

20. हस्तशिल्प संबंधित अधोसंरचना के विकास में निजी निवेशकों के प्रयत्नों को प्रोत्साहित करना।

21. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य कार्यों का क्रियान्वयन करना।

22. छत्तीसगढ़ राज्य में हस्तशिल्प को बढ़ावा देना तथा हस्तशिल्प से संबंधित गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों के रूचि को प्रोत्साहन देना।

23. हस्तशिल्प संभावनाओं की सूचनाओं को प्रचारित करने के उददेश्य से छत्तीसगढ़ राज्य में विदेशी एजेन्टस, हस्तशिल्प प्रमोशन एजेन्सी को निमंत्रित एवं प्रबंध करना।

24. भारत तथा विदेश में सेमीनार, वर्कशॉप, प्रदर्शनी, स्टडी क्लासेस, टूर तथा भ्रमण का आयोजन कर एवं बुक, मैगजिन, पिरियाडिवल का प्रकाशन कर तथा ब्रोशर एवं विज्ञापन के माध्यम से हस्तशिल्प को बढ़ावा देने की कार्यवाही करना।

25. बोर्ड के सदस्यों तथा स्टाफ के लिए तथा अन्य हस्तशिल्प उद्योग में रूचि रखने वाले छात्रों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना।

26. बोर्ड की गतिविधियों को सामान्य लोगों में तथा अनुसूचित क्षेत्र में विशेष रूप से जानकारी उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास करना।

27. हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के उददेश्य से राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा ऐसे अन्य उत्सवों के आयोजन में सहायता, प्रबंध एवं प्रोत्साहित करना।

28. सरकार के उचित प्राधिकारी अथवा अन्य एजेन्सी से हस्तशिल्प से संबंधित मुददों एवं समस्याओं का निराकरण हेतु प्रतिनिधित्व करना एवं ऐसी समस्याओं का हल ढूंढना।

29. सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी के नीतियों एवं अभ्यासों पर पहल करना जो सामान्यतया हस्तशिल्प पर प्रभाव रखते हैं।

30. किसी अन्य संस्था, सोसायटी, ट्रस्ट या एसोसिएशन जिसका बोर्ड के समान उददेश्य हो, उनसे कोई अनुबंध अथवा प्रबंधन करना तथा ऐसी संस्था जिसका बोर्ड के समान उददेश्य हो, उनसे कोई अनुबंध अथवा प्रबंधन करना तथ ऐसी किसी संस्था, बोर्ड, ट्रस्ट या एसोसिएशन को ज्वाईन करना तथा ऐसी किसी संस्था, बोर्ड, ट्रस्ट या एसोसिएशन जिनका समान उददेश्य हो उससे प्रबंध स्थापित करना अथवा संबंध स्थापित करने हेतु मंजूरी देना।

31. किसी राष्ट्रीय लोक हित में अथवा क्षेत्रीय महत्व या साधारणतः हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड से संबंधित फण्ड को दान करना।

32. बोर्ड के सदस्यों की सहमति से समय–समय पर नियम विनियम तथा उपविधियां तैयार करना एवं संशोधित करना।

33. उपरोक्त उददेश्यों अथवा उसमें से किसी उददेश्य की प्राप्ति के लिए जो आकस्मिक अथवा संवाहक हो, कार्यवाही करना। बशर्ते कि बोर्ड से किसी प्रकार अंशदान अथवा किसी अन्य ट्रस्ट, सोसायटी अथवा योजना के साथ सहयोग करना जिसका मुख्य उददेश्य समस्त या उपरोक्त उद्देश्यों में से कोई भी हो, बोर्ड के उद्देश्यों को बढ़ावा देने से अभिप्राय हो।

34. बोर्ड हस्तशिल्प की गतिविधियों को स्वयं एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्यरत समितियों, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं शिल्पी समूहों के माध्यम से संचालित कर सकेगा।

5. <u>सदस्यता</u> :-

1. इसके लिए बनाए गए कानूनों व नियमों के अनुरूप बोर्ड ऐसी समितियां गठित कर सकेगा जो इन गतिविधियों के अंतर्गत बोर्ड के कार्यो को सुचारू निष्पादन व निर्वहन के लिए आवश्यक होगी जिसे उचित समझेगा।

S. sinha

2. बोर्ड को इन उपविधियों की उपधारा (1) के तहत इन समितियों में से ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार होगा जो बोर्ड के सदस्य नहीं है। इस प्रकार ऐसे मनोनीत सदस्यों को बैठक की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त रहेगा परन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

3. सक्रिय सदस्य – कोई व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी का प्राधिकृत प्रतिनिधि जिसका छत्तीसगढ़ में स्थापित व्यवसाय हो तथा निम्नलिखित में से एक हो, बोर्ड का सक्रिय सदस्य बन सकेगा –

3.1 भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति / प्रतिनिधि।

3.2 भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय से प्राधिकृत व्यक्ति / प्रतिनिधि।

3.3 छत्तीसगढ़ राज्य इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति / प्रतिनिधि।

3.4 छ.ग. राज्य पर्यटन मंडल द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति / प्रतिनिधि।

3.5 छत्तीसगढ़ में भारत सरकार / छत्तीसगढ़ राज्य के विभाग / संस्थान जो हस्तशिल्प विकास संबंधी गतिविधियां संचालित करते हों। इनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति / प्रतिनिधि।

3.6 कोई अन्य संस्थान जो उपरोक्त के अंतर्गत नहीं आते हों तथा संचालक मण्डल के मतानुसार सक्रिय सदस्य के रूप में शामिल किए जा सकते हों।

3 (अ) प्रवेश शुल्क तथा अंशदान –

सक्रिय एवं संभाकित (**Affiliate**) सदस्यों को बोर्ड के फंड में प्रवेश के समय एवं पंजीयन हेतु प्रवेश शुल्क के रूप में एक साथ तथा वार्षिक शुल्क प्रत्येक वर्ष के 31 मई को या उसके पहले जमा करना होगा। प्रवेश शुल्क राशि रू. 1000/– तथा वार्षिक सदस्यता अंशदान राशि रू. 251/– जमा करना आवश्यक होगा।

3 (ब) सदस्य का प्रवेश –

1. सदस्य को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र देना होगा तथा वह बोर्ड के दो सक्रिय सदस्यों से अनुशंसित होगा। आवेदन पत्र बोर्ड के सचिव अथवा प्रबंध संचालक को प्रस्तुत किया जाएगा जो बोर्ड मीटिंग की अगली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करेगा। बोर्ड के किसी भी आवेदन को बिना कोई कारण दर्शाए स्वीकृत करने अथवा निरस्त करने के लिए पूर्णतः सक्षम होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा। एक उम्मीदवार जिसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया हो, वह निरस्तीकरण सें 6 माह के पश्चात् पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा।

3 (स) सदस्यों का नामांकन –

सदस्य का नामांकन उसके संस्था के नाम से किया जाएगा जिसके अंतर्गत उसका व्यवसाय संचालित होता हो तथा बोर्ड के समस्त प्रयोजनों के लिए उस नामांकित व्यक्ति का प्रतिनिधित्व मान्य होगा जिसकी सदस्यता का उल्लेख आवेदन पत्र में किया गया हो। ऐसे नामांकित व्यक्ति को सदस्यता के समस्त अधिकार एवं लाभ प्राप्त होगा परन्तु उसे बोर्ड मीटिंग में मत देने का अधिकार नहीं होगा। बोर्ड के सचिव या प्रबंध संचालक को नामांकन की पावती प्राप्त होने के पश्चात् उसका नामांकन प्रभावशील हो जाएगा।

6. <u>सदस्यता की प्राप्ति</u> :–

संचालक मण्डल के सदस्यों का नामांकन राज्य शासन के आदेश से होगा। अन्य व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने के इच्छुक हो उन्हें निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र देना होगा तथा वह बोर्ड के दो सक्रिय सदस्यों से अनुशंसित होगा। आवेदन पत्र बोर्ड के सचिव अथवा प्रबंध संचालक को प्रस्तुत किया जाएगा जो बोर्ड मीटिंग की अगली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करेगा। बोर्ड किसी भी आवेदन

को बिना कोई कारण दर्शाए स्वीकृत करने अथवा निरस्त करने के लिए पूर्णतः सक्षम होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा। एक उम्मीदवार जिसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया हो, वह निरस्तीकरण से 6 माह पश्चात् पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

7. सदस्यों की योग्यता :-

संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :-

1. आयु 18 वर्ष से कम न हो।
2. भारतीय नागरिक हो।
3. समिति के नियमों के पालन में प्रतिज्ञा की हो।
4. सद्चरित्र हो तथा मद्यपान नहीं करता हो।

8. **सदस्या की समाप्ति :-**

निम्न परिस्थितियों में किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी –

(अ) बोर्ड के सचिव अथवा प्रबंध संचालक को त्याग पत्र देने पर।

(ब) नियम तिथि से 6 माह के भीतर वार्षिक सदस्यता शुल्क भुगतान नहीं करने की स्थिति में बशर्ते बोर्ड द्वारा सदस्यता समाप्ति का कारण बताओ नोटिस 10 दिवस का समय देते हुए दिया जाए।

(स) कोर्ट से दिवालिया घोषित होने पर, भुगतान रोकने अथवा उधार देने वाले से मना करने अथवा सक्षम न्यायालय से व्यवसाय बंद करने का आदेश देने की स्थिति में ।

(द) बोर्ड के अभिभूत से दुराचरण या गंभीर अपराध के लिए सक्षम न्यायालय अथवा ट्रिब्यूनल द्वारा दोषी ठहराए जाने पर।

9. संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न विवरण दर्ज किए जावेंगे -

(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय।

(2) वह तारीख जिसमें सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो।

(3) वह तारीख जिसमें सदस्या समाप्त हुई हो।

(4) सदस्यों के हस्ताक्षर।

10. बोर्ड की बैठक :-

1. अध्यक्ष के दिशा-निर्देशों के अनुसार बोर्ड अपने मुख्यालय में बैठक आयोजित किया करेगा तथा बैठक में सभी निर्धारित नियमों, कानूनों तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेगा। बोर्ड की बैठक तीन माह में एक बार तथा वर्ष में चार बार आयोजित की जाएगी।

2. बोर्ड के किसी भी बैठक में आने वाले सभी प्रकरणों/प्रस्तावों पर बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जावेगा तथा मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

3. संचालक मण्डल की बैठक में कोरम पूर्ण होने पर बोर्ड सभी अथवा कोई भी अधिकार, शक्तियों का प्रयोग जो बोर्ड के उपविधियों के अंतर्गत अल्प अवधि के लिए निहित हो अथवा सामान्य रूप से प्रयोग की जा सकती हो, कर सकेगा।

4. बोर्ड मीटिंग की निर्धारित समय सीमा में पांच मिनट के भीतर अध्यक्ष बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो उपस्थित संचालकगण किसी भी सदस्य को बैठक के लिए अध्यक्ष का चुनाव कर सकते हैं।

5. बोर्ड मीटिंग घोषित कार्यालय अथवा छत्तीसगढ़ राज्य में कहीं भी आयोजित की जा सकती है।

6. समस्त संचालकों द्वारा भारत में रहते हुए हस्ताक्षरित परिपत्र के माध्यम से एक संकल्प अथवा उनके सर्वसम्मति से जो संकल्प में भाग लेने है, उसी प्रकार वैद्य एवं प्रभावशील माना जाएगा जैसे कि गठित संचालक मण्डल की आहुत बैठक में संकल्प पारित किया गया हो।

S. Sinha

7. यदि संकल्प का प्रारूप आवश्यक कागजात सहित समस्त संचालकों अथवा कमेटी के सभी सदस्यों को (बोर्ड मीटिंग अथवा समिति जैसी भी स्थिति हो के लिए) निर्धारित कोरम से कम संख्या नहीं हो उनके भारत में स्थित निवास के पते पर भेजा जाए और ऐसे संचालकों अथवा समिति के सदस्यों द्वारा अथवा ऐसे सर्वसम्मति से जो संकल्प पर मत देने के लिए अधिकृत हैं अनुमोदित किया जाए तो वह संकल्प बोर्ड द्वारा पारित समझा जाएगा।

11. <u>साधारण सभा के अधिकार व कर्त्तव्य</u> :-

क. संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।

ख. संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।

ग. आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।

घ. अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।

च. संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय–व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।

छ. बजट का अनुमोदन करना।

ज. छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड को अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संबंधित प्रावधानः—

(1) <u>बोर्ड के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों से संबंधित प्रावधान</u> –

धारा 10 के प्रावधान के अनुरूप प्रत्येक पूर्णकालिक अधिकारी या अन्य कर्मचारी जो कि छत्तीसगढ़ में कार्यरत है, जो पूर्व में म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम में कार्यरत थे। वे सभी नियुक्ति दिनांक से बोर्ड के अधिकारी या कर्मचारी हो जाएगें। जैसा भी प्रकरण हो, उसी शर्तों एवं नियमों के आधार पर जिस पर वे म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम में कार्यरत थे और वे उसी तरह उस समय तक यथावत कार्यरत करते रहेगें। जब तक उनसें सेवा की शर्ते बोर्ड द्वारा परिवर्तित न कर दिए गए।

(2) **बोर्ड के कार्यकलापों में अधिकतम कार्य प्रवीणता लाने के लिए बोर्ड के संगठनात्मक एवं कार्यकारी सेटअप को व्यवस्थित करने तथा उसका पुनर्गठन करने संबंधी अधिकार।**

1. यह मानते हुए कि वर्तमान तक इस अध्याय में पहले से कुछ नहीं है बोर्ड ऐसे आदेश प्रसारित कर सकता है या वे कार्य कर सकता है जो कि संगठनात्मक तथा कार्यपालिक ढांचे को पुर्नगठित तथा युक्ति संगत बनाने के लिए हैं तथा अधिकतम कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है तथा इस उददेश्य की पूर्ति के लिए मंडल किसी भी अधिकारी या अन्य कर्मचारियों या किसी भी वर्ग के अधिकारी को आवश्यक अथवा अतिशेष घोषित करने का सक्षम रहेगा, यदि बोर्ड ने यह पाया कि कोई अधिकारी या कर्मचारी की पुर्नगठित संगठनात्मक ढांचे में एक ही प्रकृति के पदों की आवृति हो रही है या विनिर्दिष्ट विशेषज्ञों की कमी के कारण जो किसी विशेष पद की अनिवार्य अर्हता है या किसी कार्यालय में या बोर्ड की किसी इकाई में पद उपलब्ध नहीं है तथा ये किसी विशेष स्वीकृत पद में उसे (अधिकारी/कर्मचारी) समायोजित करना संभव नहीं है।
2. इस अध्याय में स्थानान्तरण पर आये अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा शर्ते को युक्ति संगत बनाने की दृष्टि से स्थानान्तरण से आए अधिकारियों, कर्मचारियों के पदनाम में परिवर्तन करने, सेवा शर्तो में परिवर्तन तथा उनके लागू वेतनमान परिवर्तन अथवा उनके कर्त्तव्यों एवं कार्यो को बदलने के संबंध में मंडल पर कोई बंधन नहीं रहेगा।
3. बोर्ड अपने कर्मचारियों को शासन के कर्मचारियों के समान सुविधाएँ एवं अतिरिक्त आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु सक्षम होगा।
4. बोर्ड को प्राप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण अपने अधिकारियों के बीच कर सकेगा।

(3) भविष्य निधि, ग्रेज्यूटी, जनकल्याण एवं अन्य निधियाँ –

1. म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम में प्रभावशील कर्मचारी भविष्य निधि योजना निरन्तर जारी रहेगा और मध्यप्रदेश हस्तशिल्प हाथकरघा विकास निगम से छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड में ऐसे स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारियों का भविष्य निधि का लेखा कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय रायपुर स्थानान्तरित किया जाएगा तथा जमा धन राशि तथा अन्य संपत्तियाँ भविष्य निधि के खाते में निरंतर यथावत बोर्ड में नियुक्ति दिनांक से जो पूर्व में लागू थी उसी उददेश्य से जमा मानी जावेगी।

2. किसी भी प्रकार की ग्रेज्यूटी अथवा अन्य कल्याण कोष, यदि म0प्र0 हस्तशिल्प विकास निगम ने अपने अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों के हित के लिए स्थापित किया है तथा छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड में नियुक्ति के दिनांक के पूर्व अस्तित्व में था तो इन खातों में जमा सारी धनराशि एवं अन्य संपत्तियाँ अथवा संबंधित इस प्रकार की ग्रेज्यूटी, कल्याण या किसी अन्य कोष जो छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड में स्थानान्तरित अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित है, बोर्ड में निहित होगा।

3. उपधारा (1) तथा (2) में जो कुछ दिया गया है उसके अतिरिक्त बोर्ड विभिन्न निधियों के संबंध में एकरूपता लाने के लिए अथवा इस प्रकार की निधियों के आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से एकीकरण लाने के लिए जो उचित समझे वह निर्देश दे सकता है या कार्यवाही कर सकता है।

4. अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों अथवा उनके परिवार के सदस्यों के लिए उनके स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य भलाईयों के लिए जिसे लागू किया जा सकता है तथा इस प्रकार की संस्था निर्मित किया जा सकता है। जो इस उददेश्य की पूर्ति हेतु वांछित हैं, बोर्ड ऐसे सभी कदम उठा सकता है।

5. इस धारा के अंतर्गत उपरोक्त दर्शाए गए प्रावधानों के लिए आवश्यक नियमों को लागू कराने के लिए अपने अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों की

भविष्य निधि, कल्याण कोष, ग्रेज्यूटी तथा ऐसी कोई भी निधि को स्थापित करने या संधारण करने के आवश्यक वांछित नियम बनाने के लिए बोर्ड को रोका नहीं जा सकता है।

12. प्रबंधकारिणी का गठन :-

छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे—

1. राज्य शासन द्वारा मनोनित छत्तीसगढ़ शासन — अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव/सचिव, आदिमजाति कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन — सदस्य
3. प्रमुख सचिव/सचिव, ग्रामोद्योग विभाग छत्तीसगढ़ शासन — सदस्य
4. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन — सदस्य
5. प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन — सदस्य
6. राज्य शासन से नामांकित — 3 व्यक्ति जो हस्तशिल्प अथवा समाज सेवा से जुड़े हुए हो। — सदस्य
7. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के द्वारा नामांकित अधिकारी, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के लिए अधिकृत — सदस्य
8. प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड — सदस्य सचिव

13. प्रबंध समिति का कार्यकाल :-

अ. अशासकीय सदस्यों की सेवाकाल अवधि अधिकतम पांच वर्षो की होगी एवं अन्य शर्तें वही होगी जो बोर्ड से निर्धारित की जाएगी।

ब. सभी संचालकों की नियुक्ति राज्य शासन के द्वारा की जाएगी तथा उनके मंशा के अनुसार संचालक बने रहेंगे।

14. <u>प्रबंधकारिणी के अधिकार एवं कर्त्तव्य :-</u>

1. जिन उददेश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।
2. पिछले वर्ष का आय–व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना होगा।
3. समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल–अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।
4. कर्मचारियों की नियुक्ति करना।
5. अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे जायें।
6. संस्था की समस्त चल–अचल सम्पत्ति बोर्ड के नाम से रहेगी।
7. बोर्ड के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि तथा सेवा की अन्य शर्तों को निर्धारित करने के लिए।
8. अध्यक्ष के शक्तियों एवं कर्तव्यों को निर्धारित करने के लिए।
9. समितियों का संविधान बनाने के लिए।
10. वार्षिक लेखा पत्रक का स्वरूप तथा वह तिथि सुनिश्चित करने के लिए जब परीक्षित लेखों की प्रति राज्य शासन को भेजा जाना है।
11. हस्तशिल्प प्रमोशन, स्टडीज की व्यवस्था करना तथा स्वीकृत परियोजनाओं में मार्गदर्शन एवं गुणवत्ता नियंत्रण हेतु आवश्यकतानुसार अनुभवी सलाहकारों की नियुक्ति करना।
12. हस्तशिल्पियों को जॉब वर्क उपलब्ध कराकर निरंतर रोजगार उपलब्ध करना एवं उत्पादित सामग्री को एम्पोरियमों में विक्रय हेतु स्थान उपलब्ध कराना।

छ.ग. हस्तशिल्प

13. कोई भी अन्य विषय, जो कि लागू नहीं किया गया हो अथवा भविष्य में प्रभावशील किया जा सकता है।

15. <u>अध्यक्ष के अधिकार</u> :-

अध्यक्ष, संचालक मण्डल की बैठक का अध्यक्षता करेगा तथा उसका मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा। संस्था के समस्त अधिकारी/कर्मचारी अध्यक्ष के प्रशासकीय नियंत्रण में रहेगें।

16. <u>सचिव के अधिकार</u> :-

छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड का प्रबंध संचालक ही सचिव के रूप में रहेंगे जिनके निम्नलिखित अधिकार होंगे –

1. संचालक मण्डल की बैठक समय–समय पर बुलाना एवं समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।
2. संस्था की आय–व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तैयार करके संचालक मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत करना।
3. संस्था के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना।

17. <u>बैंक खाता</u> :-

बैंक की समस्त निधि किसी राष्ट्रीयकृत/राज्य शासन से अधिकृत बैंक में रहेगी तथा उसका संचालन बोर्ड के प्रबंध संचालक द्वारा अथवा प्रबंध संचालक के द्वारा अधिकृत अधिकारी /अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा।

18. <u>पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी</u> :-

अधिनियम की धारा–27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक बैठक होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची प्रस्तुत की जाएगी तथा धारा 28 के अंतर्गत संस्था की परीक्षित लेखा मय नियम शुल्क के साथ भेजी जाएगी जिसके साथ नियत शुल्क देय होगा।

S. Sinha

19. संशोधन :-

संस्था के विधान में संशोधन संचालक मण्डल की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यकता हुई तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा। संस्था के विधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव नियत शुल्क के साथ प्रस्तुत की जाएगी जिसके साथ नियम शुल्क देय होगा।

20. विघटन :-

1. राज्य शासन यदि चाहें तो एक अधिसूचना जारी करके समिति को विघटन के आदेश जारी कर सकेगा जिस पर बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया जा कर अधिनियम की धारा 34 अनुसार विघटन की कार्यवाही की जावेगी।

2. उपधारा (1) के अनुसार, अधिसूचित तिथि के प्रभाव से –

अ. सभी सम्पत्तियां, निधि तथा बकाया राशि जो कि बोर्ड के अधीन है अथवा बोर्ड द्वारा वसूली योग्य है वह राज्य शासन के अधीन उसके द्वारा वसूलने योग्य हो जाएगी।

ब. वे सभी देनदारियां, जो बोर्ड से वसूलने योग्य होगी वे राज्य शासन से वसूली की जाएगी, जो राज्य शासन के अधीन वह सभी सम्पत्तियां, शुल्क तथा लेनदारियों तक सीमित हो।

21. सम्पत्ति :-

संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था में अचल संपत्ति (स्थावत्) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थानों की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा दान द्वारा था अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियत शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी।

22. **बैंक खाता :-**

बोर्ड की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक में रखा जाएगा एवं समय–समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

23. **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :-**

संस्था की पंजीयन नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेंगे।

24. **विवाद :-**

संस्था में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्षण को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

25. **बोर्ड के आय के स्रोत :-**

(I) **बोर्ड द्वारा ऋण लेने का अधिकार –**

बोर्ड, राज्य शासन द्वारा पूर्व में किए गए अनुमोदन या दिए गए किसी सामान्य या विशेष अधिकार के तहत इन उपविधियों के अंतर्गत बोर्ड के सभी कार्यकलापों के सुचारू रूप से निर्वहन करने के लिए, जहाँ भी ठीक समझे उन स्त्रोतों से धन राशि ऋण पर ले सकता है।

(II) राज्य सरकार से ऋण एवं अनुदान -

राज्य की विधानसभा इस विषय में आवश्यक विधेयक पारित कर बोर्ड को, राज्य सरकार जितना उपयुक्त समझे वह धन राशि अनुदान या ऋण के रूप में बोर्ड को उपलब्ध करा सकेगी।

(III) अनुदान तथा दान आदि -

1. बोर्ड, राज्य सरकार अन्य स्त्रोतों के उपहार, अनुदान अथवा अन्य लाभ भी प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार यह प्राप्त राशि बोर्ड द्वारा इन उपविधियों के अंतर्गत बोर्ड के क्रियाकलापों के संपादन तथा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए उपयोग में ला सकता है।

2. बोर्ड भारत सरकार के विभिन्न विभागों से जैसे विकास आयुक्त (हस्तशिल्प एवं हाथकरघा) आदि से अनुदान प्राप्त कर योजनायें संचालित कर सकेगीं।

(IV) शबरी एम्पोरियमों से विक्रय/प्रदर्शनीयों/निर्यात से आय-

बोर्ड द्वारा शिल्पियों के सामाग्री का संग्रहण कर एम्पोरियमों/प्रदर्शनीयों में विक्रय एवं निर्यात आदि माध्यमों से आय अर्जित किया जा सकेगा।

26. हस्तशिल्प विकास निधि -

1. बोर्ड द्वारा एक हस्तशिल्प विकास निधि कोष बनाया जाएगा और निम्नानुसार प्राप्त निधियाँ इस कोष में जमा की जाएगी -

अ. धारा 14 के तहत राज्य सरकार से बोर्ड को प्राप्त अनुदान एवं ऋण राशि ।

ब. किसी अन्य स्त्रोतों से बोर्ड को प्राप्त राशियाँ ।

स. इस हस्तशिल्प विकास निधि से दी गई राशि की वापसी से प्राप्त धन।

द. इस निधि से निवेश से प्राप्त होने वाली आय।

2. इस कोष में जमा की गई राशियाँ इसके बनाये गये किसी भी नियम या कानून के अंतर्गत किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करवाई जाएगी।

व्याख्या – इस अध्याय में राष्ट्रीयकृत बैंक से तात्पर्य किसी भी नये बैंक से हो सकता है जिसे बैंकिंग कंपनियों के अधिनियम 1970 (1970 का क्रमांक 9) अथवा 1980 (1980 का क्रमांक 40) में परिभाषित किये गये हैं।

3. इस निधि का उपयोग निम्न कार्यों की पूर्ति के लिए किया जाएगा –

अ. इन उपविधियों के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए।

ब. बोर्ड में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य देय भत्ता के भुगतान के लिए।

स. इन उपविधियों के अंतर्गत बोर्ड द्वारा अपने कार्यकलापों कि निष्पादन हेतु दिए गये व्ययों के भुगतान अथवा प्रतिपूर्ति के लिए।

27. <u>लेखा एवं ऑडिट</u> –

1. बोर्ड प्रतिवर्ष उपयुक्त ढंग से अपने लेखों तथा अन्य संबंधित अभिलेख का संधारण करेगा तथा निर्धारित प्रारूप/प्रपत्रों में वार्षिक लेखा पत्रक तैयार करेगा।

2. बोर्ड के लेखों का परीक्षण बोर्ड द्वारा नियुक्त आडिटर के द्वारा तैयार किया जाएगा तथा ऐसा कोई आगे जो राज्य शासन द्वारा निर्धारण किया जाए।

3. बोर्ड वित्तीय निर्धारित तिथि के पूर्व लेखों की अंकेक्षित प्रति तथा आडिटर्स का प्रतिवेदन राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा।

4. राज्य शासन बोर्ड द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदन तथा आडिटर की रिपोर्ट विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए सोसाइटी का ज्ञापन

01. सोसाइटी का नाम **छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड** होगा।

02. सोसाइटी का प्रधान कार्यालय रायपुर।
तहसील रायपुर जिला रायपुर में स्थित होगा।
और इसका पता **छत्तीसगढ़ हॉट परिसर, पंडरी, रायपुर (छ0ग0)** होगा।

03. सोसाइटी के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:–

1. हस्तशिल्प योजनाओं के माध्यम से स्व–रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
2. परम्परागत शिल्पियों को उन्नत प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
3. परम्परागत एवं गैर परम्परागत शिल्पियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की बदलती मांग से अवगत कराने के लिए तकनीकी एवं रूपांकन सहायता प्रदान करना।
4. शिल्पियों को उन्नत औज़ार उपकरण प्रदान करना।
5. हस्तशिल्प उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहन देना।
6. हस्तशिल्प उत्पादन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
7. प्रदेश के लुप्त प्रायः शिल्प को पुर्नजीवित एवं उनका संरक्षण करना तथा उन्हें संवर्धित करना।
8. हस्तशिल्पियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
9. हस्तशिल्पियों को उनके उत्कृष्ट कृतियों हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान करना।
10. छत्तीसगढ़ के शिल्पियों को विपणन सहायता, उत्पादन क्षमता, तकनीकी ज्ञान, बाजार मूल्यों की जानकारी, लोकप्रिय डिजाईनों की जानकारी एवं उचित

04. सोसाइटी के कामकाज का प्रबंध, सोसाइटी के विनियमों द्वारा गवर्नर, परिषद संचालकों, समिति या शासी – निकाय को सौंपा गया है, जिनके नाम, पते तथा उपजीविका नीचे विनिर्दिष्ट की गई हैः–

अ.क्रं. (1)	नाम (2)	पता (3)	उपजीविका (4)
01.	मेजर अनिल सिंह, पिता श्री के.एन.सिंह	एम.जी.रोड, अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.)	कृषक
02.	श्री एम. के. राऊत, प्रमुख सचिव	छ.ग. शासन, ग्रामोद्योग विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)	शासकीय नौकरी
03.	श्री डी. एस. मिश्रा, प्रमुख सचिव,	छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)	शासकीय नौकरी
04.	श्री के.डी.पी. राव, सचिव,	छ.ग. शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)	शासकीय नौकरी
05.	श्री मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव	छ.ग. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)	शासकीय नौकरी
06.	श्री शिरिष चन्द्र अग्रवाल, प्रबंध संचालक	छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड, छत्तीसगढ़ हाट परिसर, पंडरी, रायपुर	शासकीय नौकरी
07.	श्री चंद्रशेखर पाड़े, पिता स्व.श्री उद्धव पाड़े	बाजार पड़ाव, पो. एवं ग्राम–गढ़फुलझर, तह.– बसना, जिला–महासमुंद (छ.ग.)	कुंभकारी
08.	श्री शत्रुघ्न सिन्हा, पिता श्री बंसी लाल सिन्हा,	वार्ड क्र.–15, कन्याशाला के सामने, नगर पंचायत, पो.–चारामा, जिला–कांकेर (छ.ग.)	कृषक

05. छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 6 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित सोसाइटी के विनियम का समयक् रूप से प्रमाणित एक प्रति इस प्रतिष्ठान ज्ञापन के साथ फाइल की गई है। हम विभिन्न व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे गए हैं। उपरोक्त प्रतिष्ठान–ज्ञापन के अनुसरण में सोसाइटी बनाने के इच्छुक हैं और नीचे दर्शाये गये अनुसार साक्षियों की उपस्थिति में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

S. sinha

अ.क्रं. (1)	अभिदाताओं के नाम तथा पिता / पति के नाम (2)	पता (3)	हस्ताक्षर (4)
01.	मेजर अनिल सिंह, पिता श्री के.एन.सिंह	एम.जी.रोड, अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.)	[signature]
02.	श्री एम. के. राऊत प्रमुख सचिव	छ.ग. शासन, ग्रामोद्योग विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)	[signature]
03.	श्री डी. एस. मिश्रा, प्रमुख सचिव,	छ.ग. शासन, वित्त विभाग, डी. के. एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)	[signature]
04.	श्री के.डी.पी. राव,प्र.सचिव,	छ.ग. शासन, संस्कृति विभाग, डी. के. एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)	[signature]
05.	श्री मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव	छ.ग. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, डी. के. एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)	[signature]
06.	श्री शिरिष चन्द्र अग्रवाल, प्रबंध संचालक	छतीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड, छतीसगढ़ हाट परिसर, पंडरी, रायपुर (छ.ग.)	[signature]
07.	श्री चंद्रशेखर पाड़े, पिता स्व.श्री उद्धव पाड़े	बाजार पड़ाव, पो. एवं ग्राम–गढ़फुलझर, तह.– बसना, जिला–महासमुंद (छ.ग.)	[signature] 30-07-12
08.	श्री शत्रुघ्न सिन्हा, पिता श्री बंसी लाल सिन्हा,	वार्ड क्र.–15, कन्याशाला के सामने, नगर पंचायत, पो.–चारामा,जिला–कांकेर (छ.ग.)	S.Sinha

तारीखः–

प्रति,

सोसाइटी का रजिस्ट्रार

साक्षी

हस्ताक्षर– [signature]
Ratna Ajgale
Account Officer,
C.G. Hast Shilp Vikas Board,
RAIPUR. (C.G.)

नाम– रत्ना अजगले

पूर्ण पता– ब्लॉक F-4/6, जी.ए.डी. कॉलोनी कचना, रायपुर (छ.ग.) 492007

\\Hastshilp3\d\RAJWADE SIR\Niymawali Hindi.doc1.doc